उत्तराखण्ड वन विकास निगम (यथासंशोधित) अधिनियम, 2011

अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड़, देहरादून-248001
website: ukfdc.uk.gov.in, ukfdceauction.in
Email: vanvikas12@gmail.com

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून

दूरभाष :–0135–2657610, वेबसाईट: ukfdc.uk.gov.in, ukfdceauction.in, **ई–मेल:** vanvikas12@gmail.com

पत्रांक –ई0– 885 /अधिनियम–2011 दिनांक : 23 मई, 2022

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः– "उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के असाधारण राजपत्र में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के आदेश संख्या 07/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001 दिनांक 17–05–2001 के द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 अधिसूचित किया गया तथा उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1738/1–व0आ0.वि0/2001–8(25) 2001, देहरादून दिनांक 01–04–2001 के द्वारा **"उत्तरांचल वन विकास निगम"** का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन के असाधारण राजपत्र में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के आदेश सं0 125/XXXVI(3)/2010/30(1)/2011 दिनांक 31–03–2011 के द्वारा **"उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011"** (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2011) अधिसूचित किया गया तथा उत्तराखण्ड शासन के असाधारण राजपत्र में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के आदेश सं0 169/XXXVI(3)/2012/25(1)/2012 दिनांक 08 जून 2011 द्वारा (उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012 अधिसूचित किया गया। उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित सभी संशोधनों को सम्मिलित करते हुए **"उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011"** को एतद् द्वारा संकलित कर अध्यावधिक स्वरूप दिया गया है। इसकी हिन्दी एवं अंग्रेजी की 10 प्रति शासन के संज्ञान हेतु प्रेषित है।

संलग्नक – "उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011"

23/5/22
(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः ई0– 885 / / दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त की एक–एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम ।
6. समस्त प्रबन्धक/अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, उ0व0वि0नि0, मुख्यालय, देहरादून।
7. प्रति – (1) सम्बन्धित पत्रावली (2) गार्डफाईल (3) शिविर पत्रावली (4) आई0टी0सेल को वन निगम की वेब साईट में अपलोड किये जाने हेतु।

संलग्नक– "उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011"

23/5/22
(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2011 ई0

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या125/XXXVI(3)/2010/30(1)/2011

देहरादून 31 मार्च, 2011 (यथासंशोधित 08 जून 2012)

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2011 पर दिनांक 29 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2011)

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए अधिसूचित।

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम का संशोधन 2 उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 वर्ष 1975) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" या "उत्तर प्रदेश" आया है, वहाँ–वहाँ व शब्द "उत्तराखण्ड" रख दिया जायेगा।

व्यावृत्ति 3 ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियत के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

ह0/–

राम सिंह,

प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011

अध्याय–1 : प्रारम्भिक			
संक्षिप्त नाम विस्तार			
	1.	(1)	यह अधिनियम उत्तराखण्ड वन विकास निगम अधिनियम, 2011 (यथासंशोधित) कहलायेगा।
		(2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।
		(3)	यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा/तदर्थ नियम करें।
परिभाषाएं			
	2.	(1)	इस अधिनियम में, जब तक संन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
		(क)	''निगम'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड वन विकास निगम *से है;
		(ख)	''स्थानीय निकाय'' का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, अन्तरिम जिला परिषद, क्षेत्र समिति अथवा गॉव सभा से है;
		(ग)	''प्रबन्ध निदेशक'' का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से है।
		(घ)	''विहित '' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है।
		(ड.)	''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है।
		(च)	''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार* से है।
अध्याय–2 : निगम की स्थापना तथा उसका गठन			
निगम की स्थापना			
	3.	क (1)	उत्तराखण्ड राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना [1] द्वारा ऐसे दिनांक से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाएगा, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।*
		(2)	निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।*
		(3)	निगम समस्त प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी होगा।*
		(4)	निगम का मुख्यालय नरेन्द्र नगर में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकेते हैं जहॉ व आवश्यक समझे।*
		(5)	उत्तराखण्ड वन विकास निगम का कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र होगा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में उत्तर प्रदेश वन निगम न ही कार्य करता रहेगा और न ही कियाशील बना रहेगा। *

* अधिसूचना सं0 07/दिनांक 17–05–2001 द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 को अंगीकृत किया गया।

[1] उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 – 1738 दिनांक 01–04–2001 द्वारा गठित।

निगम का गठन

4. (1) निगम में एक अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी तथा निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे अर्थात –

(क) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों में से नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें से एक को निगम का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जायेगा, और

(ख) तीन से अनाधिक अशासकीय सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हे उसकी राय में वनों के परीरक्षण तथा विकास से सम्बन्धित विषयों का अनुभव हो, नियुक्त किये जायेंगे।

(2) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों

5. कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य नियुक्त किये जाने अथवा होने के लिए अनर्हित होगा; यदि वह–

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता समन्वित हो; या

(ख) अनुन्योचित दिवालिया हो; या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो; या

(घ) राज्य सरकार की राय में निगम सर्वोत्तम हित में कार्य करने में असफल रहा हो अथवा उसके लिए असमर्थ हो गया हो या उसने अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो जिससे कि उसका उस रूप में बना रहना निगम अथवा जन साधारण के हित के लिए हानिकारक हो गया हो; या

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष, अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक, सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हो जो निगम के साथ, उसके, द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश अथवा हित रखती हो।

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) अथवा खंड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका, वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हों–

(1) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री, क्रय उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा बिक्री, क्रय, पट्टा या विनिमय के लिए किये गये किसी करार में;

(2) धन के ऋण के लिए किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति में;

(3) किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें निगम के कार्य कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हो;

(4) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रूपये से अनाधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो यदा-कदा बिक्री में, कोई अंश या हित है।

स्पष्टीकरण किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसे कम्पनी में अंशधारी है जिसका कि ऐसे अंश या हित है, यह नहीं समझा जायेगा कि उसका निगम

के साथ, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है।

अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्यों की पदावधि

6. (1) निगम के अध्यक्ष की, यदि वह राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाला कोई अधिकारी न हो, या किसी अशासकीय सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाए।

(2) अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

आकस्मिक रिक्तियाँ

7. (1) यदि अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य आशक्तता के कारण अथवा अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाए अथवा उन परिस्थितियों में अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार उसके स्थान पर कार्य करने तथा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

(2) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या किसी अशासकीय सदस्य के त्याग पत्र पर दिये जाने अथवा किसी अन्य कारण से होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष या अशासकीय सदस्य, यथास्थिति, उस अध्यक्ष या अशासकीय सदस्य की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाए, अवशिष्ट पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति

8. (1) निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड के परामर्श से अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन से जैसा भी राज्य सरकार निर्देश दे की जायेगी।

(2) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी को ऐसे निबन्धों और शर्तों पर जिनके बारे में सहमति हो जाए नियुक्त कर सकता है।

वेतन तथा भत्ते

9. (1) अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्य निगम की निधि में ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे जो विनिमयों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य कर्मचारी निगम की निधि से ऐसे वेतन तथा भत्ता पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जो विनिमयों द्वारा अवधारित किये जायें।

प्रबन्ध निदेशक का नियंत्रण

10. निगम के अधीक्षण के अधीन रहते हुए निगम के कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

बैठक

11. (1) निगम की बैठक ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों पर होगी और वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित निगम का कोई सदस्य, निगम की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) निगम की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे और बराबर-बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) अध्यक्ष निगम की किसी विषय में सहायता देने अथवा परामर्श देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को निगम की बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति निगम के विचार-विमर्श में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा।

हित के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने पर अनर्हता

12. कोई सदस्य, जो निगम की ओर से की गयी अथवा किये जाने के लिए प्रस्थापित किसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अथवा हितबद्ध हो, शीघ्रतम सम्भव अवसर पर निगम को अपने हित का स्वरूप प्रकट करेगा और उसकी किसी भी बैठक में जब कभी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना पर विचार-विमर्श हो, तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक की सूचना प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अन्य सदस्यों द्वारा उसकी अनुपस्थिति की अपेक्षा न की जाए और उपस्थित होने के लिए इस प्रकार अपेक्षित कोई सदस्य किसी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना पर मत नहीं देगा।

रिक्ति आदि के कारण कोई कार्य अविधि मान्य नहीं होगा

13. निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही केवल निगम में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी।

अध्याय-3, निगम के कृत्य और उसकी शक्तियाँ

निगम के कृत्य

14. इस अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए, निगम के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात :-

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये वृक्षों को हटाना और उनका निस्तारण करना तथा वन सम्पदा का विदोहन करना;

(ख) राज्य के भीतर वन विज्ञान से सम्बन्धित परियोजनाऐं तैयार करना;

(ग) वन तथा वन- उत्पाद से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यक्रम चलाना और वन विज्ञान के सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना;

(घ) ऐसे वनों का प्रबन्ध, अनुरक्षण तथा विकास करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा अन्तरित किये जायें अथवा सौंपे जायें;

(ड.) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिनकी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये।

निगम की शक्तियाँ

15. (1) निगम को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी :-

(क) वन के कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए कर्मशालायें अथवा कारखाने स्थापित करना;

(ख) प्रयोगशालाओं और प्रायौगिक तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन करना;

(ग) किसी व्यक्ति से ऐसी संविदा अथवा ठहराव करना जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) धन उधार लेना, ऋण-पत्र जारी करना और अपनी निधियों का प्रबन्ध करना; और

(ड.) व्यय करना तथा ऐसे व्यक्तियों को ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत करना जिन्हें निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।

निगम की अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा पर परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की शक्ति

16. निगम, राज्य सरकार के अनुरोध पर अथवा, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध पर, किसी वनरोपण परियोजना के निष्पादन को, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिसके बारे में सहमति हो जाए, अपने हाथ में ले सकता है।

अध्याय-4 : वित्त लेखे तथा लेखा परीक्षा

निगम की निधि

17. (1) निगम की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि होगी और जिसमें निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन जमा किया जाएगा।

(2) निधि का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय को पूरा करने में किया जायेगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(3) निधि की धनराशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा उत्तराखण्ड प्रदेश सहकारी बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निगम को ऐसी नगद धनराशि रखने से जो चालू भुगतान के लिये आवश्यक हो, अथवा निधि के किसी भाग को जो तुरन्त व्यय करने के लिए अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित करने से प्रचारित करने वाली न समझी जायेगी।

निगम की उधार लेने की शक्ति

18. (1) निगम, समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के जिन्हें राज्य सरकार का समान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा अवधारित करे, अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई धनराशि या तो बन्ध-पत्र या निधि पत्र जारी करके या अन्य प्रकार से या बैंकरों से ठहराव करके उधार ले सकता है।

(2) इस धारा के अधीन निगम द्वारा जारी किया गया निधि पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरिम किया जायेगा, अथवा ऐसी रीति से उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी या उसे योजित किया जायेगा जो राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष ओदश द्वारा निर्देशित करें।

निगम को वित्तीय सहायता

19. राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल के सम्यक विधीय विनियोजन के पश्चात् समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार अवधारित कर सकती हैं।

निगम को ऋण

20. राज्य सरकार, समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें वह अवधारित करे निगम को ऋण दे सकती है।

ऋणों का प्रतिसंदाय

21. (1) निगम अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रतिसंदाय के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, एक निक्षेप निधि स्थापित करेगा।

(2) निक्षेप निधि, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, अनुरक्षित तथा विनियोजित की जायेगी और उपयोग में लायी जायेगी।

बजट

22. निगम प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करेगा जिसमें निगम की अनुमानित प्राप्तियाँ तथा व्यय दर्शित किए जायेंगे।

लेखे तथा लेखा परीक्षा

23. (1) निगम उचित लेखे रखेगा और लेखे का वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत-तुलन पत्र भी है, ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे।

(2) निगम के लेखे प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षित किए जायेंगे और ऐसी लेखा परीक्षा में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देय होगा।**

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा निगम के लेखों की लेखा परीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो किसी संगठन के लेखों की लेखा की लेखा परीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्टया, उसे बहियाँ, लेखे, सम्बद्ध बाउचर तथा अन्य दस्तावेज़ों और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने की मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।**

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।**

(5) राज्य सरकार

(क) उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निगम के लेखे और उनके संबंध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधान सभा मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी; और

(ख) निगम के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मूल्य पर बिक्री के लिए उसकी प्रतिलिपियों को उपलब्ध करायेगी।

24. (1) निगम का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, कोई अन्य सदस्य या कोई कर्मचारी निगम के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय अथवा दुरूपयोजन के लिए अधिभार का उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन ऐसे अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या अन्य सदस्य या कर्मचारी के रूप में काम करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

** अधिसूचना सं0 169/दिनांक 08-06-2012 द्वारा संशोधित

(3) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में, अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तग्रस्त पायी जाय, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(4) उपधारा (3) को कोई बात निगम की इस बात का निवारित नहीं करेगी कि वह उसमें निर्दिष्ट धनराशि की, यथास्थिति, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या अन्य सदस्य या कर्मचारी को निगम द्वारा देय किसी धनराशि में से कटौती कर ले।

अध्याय-5 : बाह्य नियंत्रण

नीति विषयक प्रश्नों पर निर्देश

25. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में निगम नीति प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों द्वारा मार्ग-दर्शित होगा जो उसे, राज्य सरकार द्वारा दिए जायें।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निर्देश जारी कर सकती है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

26. (1) निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व तथा ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्यकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा, तैयार करेगा और उसे राज्य को प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट में ऐसे कार्यकलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जाएगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की संभावना हो और राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात उसे यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

(2) निगम राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार निर्देश दे ऐसे आँकड़े तथा विवरणियाँ और निगम के किसी प्रस्थापित या वर्तमान कार्यकलापों अथवा निगम के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसी विशिष्टियाँ जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-6 : प्रकीर्ण

स्थानीय निकाय, निगम को सहायता देंगे

27. (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय, निगम को ऐसी सहायता देगा और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगे और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए ऐसे अभिलेख, मानचित्र, रेखांक तथा अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध करेगा जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में अपेक्षा करें।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसे निर्देश दे सकती है जो उसकी राय में निगम को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो और तदोपरान्त ऐसे निर्देशों का पालन करना उस स्थानीय निकाय का कर्तव्य होगा।

सद्भाव पूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

28. कोई वाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या निगम या उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य अथवा राज्य सरकार या निगम के किसी कर्मचारी के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम अथवा इसके

अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिए आशयित हो।

सदस्य आदि लोक सेवक समझे जायेंगे

29. निगम का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य सदस्य और कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहें हों जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे

निगम की कार्यवाहियों आदेशों तथा अन्य लिखितों का अधिप्रमाणीकरण

30. निगम की समस्त कार्यवाहियाँ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में, निगम की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेगी और निगम द्वारा जारी किये गये सभी आदेश तथा अन्य लिखित निगम के ऐसे कर्मचारी के जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किये जायेंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

31. (1) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाये, भारतीय वन अधिनियम, 1927 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, निगम को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को जो उपधारा–1 के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियाँ न हो और जिन्हें वह आवश्यक समझे निगम के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य सदस्य अथवा कर्मचारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

32. राज्य सरकार, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 72 के अधीन वन अधिकारी की समस्त अथवा कोई शक्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी भी कर्मचारी को विनिहित कर सकती है और ऐसी शक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक या ऐसा कर्मचारी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खण्ड (2) के अन्तर्गत वनाधिकारी समझा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

33. (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थातः–

(क) वह रीति, जिसके अनुसार धारा 21 के अधीन निक्षेप निधि स्थापित, अनुरक्षित और विनियोजित की जायेगी तथा उपयोग में लाई जायेगी;

(ख) धारा 24 के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था, यदि कोई हो, भी हो;

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाता हो या जो विहित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा मण्डल दल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल 30 दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक की कोई वाद का दिनांक नियत

न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान सभा मण्डल उक्त निधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विनियम

34. (1) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम के शासन के लिए ऐसे विनियम सकता है, जो इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हो।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात –

(क) निगम के प्रबन्ध निदेशक और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें, तथा अध्यक्ष तथा शासकीय सदस्यों को दिये जाने वाला यात्रा तथा दैनिक भत्ता;

(ख) निगम की बैठकों का समय तथा स्थान और बैठकों में कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम;

(ग) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जा रही हो।

निरसन तथा अपवाद

35. (1) उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तराखण्ड संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद् निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही ही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम 03 मार्च, 2001 को प्रवृत्त हो गया था।

(**उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01 वर्ष 2001.**)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governer is pleased to order the publication of the following English translation "The Uttarakhand Forest Development Corporation (Amendment) Act, 2011" (Adhiniyam Sankhya 04 of 2011) :

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on March 29, 2011.

No.125/xxxvi (3)/2010/30(1)/2011
Dated Dehradun, March 31, 2011

Notification

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDENT) ACT, 2011"
(Uttarakhand ACT No. 04 OF 2011)

To Further amend the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974, to the context of State of Uttarakhand

AN
ACT

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-Second year of the Republic of India as follows: -

Short title and commencement	1.	(1)	This Act may be called the Uttarakhand Forest Development Corporation (Amendment) Act, 2011.
		(2)	It Shall come into force at once.
Amendment of Principal Act	2.		In the Uttar Pradesh Forest Development Act, 1974, (Uttar Pradesh Act No. 4 0f 1975) (As applicable to the State of Uttarakhand), the words "Uttaranchal" or "Uttar Pradesh" wherever occurs, the words "Uttarakhand" shall be substituted.
Saving	3.		Notwithstanding such amendement anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By order,
sd/-
RAM SINGH
Principal Secretary

THE UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION (Amendment) ACT, 2011

CHAPTER I: PRELIMINARY

Short Title, Extent And Commencement			
	1.	(1)	This Act may be called the Uttarakhand Forest Development Corporation (Amendment) Act, 2011
		(2)	It extends to the whole of Uttarakhand State.
		(3)	It shall come into force on such date as the State Government may, by Notification[1] in the Gazette, appoint in this behalf.
Definitions.			
	2.	(1)	In this Act, unless the context otherwise requires-
		(a)	"Corporation" means the Uttarakhand Forest Development Corporation established under section 3; *
		(b)	"local body" means a Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee, Notified Area committee, Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Kshetra Samiti or Gaon Sabha;
		(c)	"Managing Director" means the Managing Director of the Corporation appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 4;
		(d)	"prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
		(e)	"regulations" means regulations made under this Act;
		(f)	"State Government" means the Government of Uttarakhand State *.
CHAPTER – II : ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF THE CORPORATION			
Establishment Of The Corporation.			
	3.	A (1)	The State Government of Uttarakhand shall, by notification[1] in the Gazette and with effect from the date to be specified therein, constitute a Corporation by the name of Uttarakhand Forest Development Corporation. *
		(2)	The Corporation shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall have the power to acquire, hold and dispose of property for the purpose of this Act.*
		(3)	The Corporation shall for all purposes be a local authority.*
		(4)	The Corporation shall have its head office at Narendranagar and may have offices at such places as it may consider necessary. *
		(5)	The area of operation of the Uttarakhand Forest Development Corporation shall be the entire territory of State of Uttarakhand, in respect of which the Uttar Pradesh Forest Corporation will cease to function and operate with effect from the date the Uttarakhand Forest Development Corporation is notified in the gazette.*
Constitution Of The Corporation.			
	4.	(1)	The Corporation shall consist of a Chairman, to be appointed by the State Government and the following other members, namely:
		(a)	five members to be appointed by the State Government from amongst the officers serving under it, one of whom shall be appointed as the Managing Director of the Corporation; and

*** By Notification No. 07/dated 17-05-2001, the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 was adopted.**

1- Constituted by Notification no. 1738/dated 01-04-2001

		(b)	not more than three non-official members to be appointed by the State Government from amongst the persons who in its opinion possess experience in maters relating to preservation and development of forests.
		(2)	The appointment of the Chairman and other members shall be notified in the Gazette.
Disqualifications For Being Chairman Or Other Member.			
	5.		A person shall be disqualified to be appointed as, and for being the Chairman or other member of the Corporation, if he-
		(a)	has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involved moral turpitude; or
		(b)	is an undischarged insolvent; or
		(c)	is physically or mentally incapable of acting as such member; or
		(d)	in the opinion of the State Government has failed to act or has become incapable of acting in the best interests of the Corporation or has so abused his position as the Chairman or other member, as to render his continuance as such detrimental to the interests of the Corporation or the general public; or
		(e)	has directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee has any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment, with, by, or on behalf of the Corporation; or
		(f)	is a director, secretary, manager or other officer of any company which has any share or interest in any contract or employment with by, or on behalf of the Corporation: Provided that a person shall not be disqualified under clause (e) or clause (f) by reason only of his or the company in which he is a director, secretary, manager or other officer having a share or interest in -
		(i)	any sale, purchase, lease or exchange of immovable property or any agreement for the same;
		(ii)	any agreement for loan of money, or any security for payment or money only;
		(iii)	any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Corporation is published;
		(iv)	an occasional sale to the Corporation upto a value not exceeding ten thousand rupees in any year, of any article in which he or his company regularly trades. **Explanation – A person shall not be deemed to have to any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Corporation by reason only of his being a share-holder of the company which has such share or interest.**
Term of Office of the Chairman or non-official members.			
	6.	**(1)**	The term of the office of the Chairman, if he is not an officer serving under the State Government, or of a non-official member of the Corporation shall be three years unless it is determined earlier by the State Government by notification in the Gazette.
		(2)	The Chairman or a non-official member of the Corporation may at any time, by writing under his hand addressed to the State Government, resign his office and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

Casual Vacancy			
	7.	**(1)**	If the Chairman or any non-official member is , by infirmity or otherwise, rendered temporarily incapable of carrying his duty or is absent otherwise, in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint another person to officiate for him and to carry out his functions under this Act.
		(2)	A casual vacancy created by the resignation of the Chairman or any non-official member under sub-section (2) of section 6 or for any other reason shall be filled by fresh appointment and the Chairman or non-official members so appointed shall hold office for the remainder of the term of the Chairman or, as the case may be, for the non-official member in whose place he is so appointed.
Appointment of Employees of the Corporation.			
	8.	**(1)**	The Corporation may appoint such employees as it considers necessary for the efficient performance of his function under this Act: Provided that the appointment of such employees as the State Government may, by general or special order, specify, shall be made in consultation with the Public Service Commission, Uttar Pradesh or with the approval of the State Government, as the State Government may direct.
		(2)	The Corporation may, with the previous approval of the State Government, appoint an employee of the Central Government or the State Government or local body on such terms and conditions as may be agreed upon.
Salaries and Allowances			
	9.	**(1)**	The Chairman and the non-official members shall be entitled to draw such traveling and daily allowances from the fund of the Corporation as may be determined by regulations.
		(2)	The Managing Director and other employees of the Corporation shall be entitled to receive from the fund of the Corporation such salaries and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be determined by the regulations.
Control by Managing Director			
	10.		Subject to the superintendence of the Corporation, the general control over the employees of the Corporation shall be vested in the Managing Director.
Meetings.			
	11.	**(1)**	The Corporation shall meet at such times and places and shall observe such procedure in regard to the transaction of business in its meeting as may be determined by regulations.
		(2)	The Chairman or in his absence, a member of the Corporation elected by the members present from amongst themselves, shall preside at the meeting of the Corporation.
		(3)	All questions at the meetings of the Corporation shall be decided by majority of votes of the members present and voting and in the case of equality of votes, the Chairman, or in his absence the member presiding, shall have a second or casting vote.
		(4)	The Chairman may invite any person to attend a meeting of the Corporation for the purpose of assisting or advising it on any matter and the person so invited may take part in the discussions of the Corporation but shall have no right of vote.

Disqualification for participation in proceedings on account of interest.			
	12.		A member who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal, entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Corporation shall at the earliest possible opportunity disclose the nature of his interest to the Corporation and shall not be present at any meeting thereof when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by other members for the purpose of eliciting information, and no member so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.
Acts not to be invalidated by vacancy, etc.			
	13.		No act done or proceedings taken under this Act, by the Corporation shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or defect in the constitution of the Corporation.
CHAPTER – III : FUNCTIONS AND POWERS OF THE CORPORATION			
Function of the Corporation			
	14.		Subject to the provisions of this Act, and to any general or special directions of the State Government, the functions of the Corporation shall be following, namely :
		(a)	to undertake removal and disposal of trees and exploitation of forest resources entrusted to it by the State Government;
		(b)	to prepare projects relating to forestry within the State;
		(c)	to undertake research programmes relating to forests and forest products and render technical advice to State Government on matters relating to forestry;
		(d)	to manage, maintain and develop such forests as are transferred or entrusted to it by the State Government;
		(e)	To perform such functions as the State Government may from time to time require.
Powers of the Corporation.			
	15.	**(1)**	The Corporation shall, subject to the provision of this Act, have power to do anything which may be necessary or expedient for carrying out its functions under this Act.
		(2)	Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such power shall include the power :-
		(a)	to set up workshops or factories for processing forest raw materials;
		(b)	to establish, maintain and operate laboratories and experimental and research stations;
		(c)	to enter into such contract or arrangement with any person as the Corporation may deem necessary for performing its functions under this Act;
		(d)	to borrow money, issue debentures and manage its fund; and
		(e)	to incur expenditure and grant loans and Advances to such persons as the Corporation may deem necessary for performing its functions under this Act.
Power of the Corporation to undertake Projects at the instance of others			
	16.		The Corporation may undertake the execution of any afforestation project at the request of the State Government or, with the previous approval of the State Government, at the request of any other person on such terms and conditions as may be agreed upon.

Fund of the Corporation			
	17.	**(1)**	The Corporation shall have its own fund which shall be a local fund and to which shall be credited all money received by or on behalf of the Corporation.
		(2)	The fund shall be applied towards meeting expenses incurred by the Corporation in the discharge of its functions under this Act and for no other purpose.
		(3)	The money of the Fund shall be kept in the State Bank of India or in the Uttarakhand Co-operative Bank or in any Scheduled Bank: Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to preclude the Corporation from retaining such balance in case as may be necessary for current payment or from investing any portion of the fund not required for immediate expenditure in any of the securities described in section 20 of the India Trust Act ,1882.
Power of the Corporation to Borrow.			
	18.	**(1)**	The Corporation may from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as the State Government may be general or special order determine, borrow any sum required for the purposes of this Act, whether by the issue of bonds or stocks or otherwise or by making arrangement with bankers.
		(2)	Stock issued by the Corporation under this section shall be issued, transferred, dealt with and redeemed in such manner as the State Government may by, general or special order, direct.
Subventions to the Corporation.			
	19.		The State Government may, after due appropriation by law of the State Legislature, from time to time make subventions to the Corporation for the purpose of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.
Loans to the Corporation.			
	20.		The State Government may, from time to time, advance loans to Corporation for the purposes of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.
Repayment of Loans.			
	21.	**(1)**	The Corporation shall, for the purpose of repayment of any loan raised by it establish a Sinking Fund in such manner as may be prescribed.
		(2)	The Sinking Fund shall be maintained, invested and applied in such manner as may be prescribed.
Budget			
	22.		The Corporation shall prepare, in such form and at such time every year as the State Government may direct, budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure of the Corporation.

Accounts and Audit			
	23.	**(1)**	The Corporation shall maintain proper accounts and prepare an annual statement of accounts including balance-sheet in such form as the State Government may direct.
		(2)	The accounts of the Corporation shall be subject to audit annually by the Comptroller and Auditor General of India or any person authorised by him, and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Corporation to the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him.**
		(3)	The Comptroller and Auditor General of India or any person authorised by him in connection with the audit of accounts of the Corporation shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the audit of the accounts of an Organisation and, in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other document and papers and to inspect the office of the Corporation.**
		(4)	The accounts of the Corporation as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any person authorised by him in that behalf together with the audit report thereof shall be forwarded annually to the State Government. **
		(5)	The State Government Shall-
		(a)	cause the accounts of the Corporation, together with the audit report thereon, received by it under sub-section (4) to be laid annually before the State Legislative assembly, and
		(b)	Cause the accounts of the Corporation to be published in the prescribed manner and make available copies thereof for sale at a reasonable price.
Surcharge			
	24.	**(1)**	The Chairman, the Managing Director or any other member or any employee of the Corporation shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Corporation if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct while acting as such Chairman, Managing Director or other member or employee.
		(2)	The procedure of surcharge shall be such as may be prescribed.
		(3)	Any amount found to be involved in any such loss, waste or misapplication as a result of proceedings for surcharge shall be recoverable as arrears of land revenue.
		(4)	Nothing in sub-section (3) shall prevent the Corporation from deducting any amount referred to therein from any sum payable by the Corporation to Chairman, Managing Director or other member or employee, as the case may be.

**** Amended By Notification No. 169/dated 08-06-2012.**

CHAPTER –V : EXTERNAL CONTROL			
Directions on question of Policy.			
	25.	**(1)**	In the discharge of its functions under this Act, the Corporation shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the State Government.
		(2)	If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under Sub-section (1), the decision of the State Government thereon shall be final.
Annual Reports.			
	26.	**(1)**	The Corporation shall, as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government before such date and in such form as the State Government may direct, a report giving an account of its activities during the previous financial year, and such report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by Corporation in the next financial year and the State Government shall cause such report to be laid before the State legislative Assembly, as soon as may be, after it is received by the State Government.
		(2)	The Corporation shall furnish to the State Government at such times and in such form and manner as the State Government may direct such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed or existing activities of the Corporation or any other matter under the control of the Corporation as the State Government may from time to time require.
CHAPTER –VI : MISCELLANEOUS			
Local Bodies to assist the Corporation.			
	27.	**(1)**	Every local body shall render such assistance and furnish such information to the Corporation and make available for its inspection and examination such records, maps, plans and other documents as it may require in connection with the performance of its functions under this Act.
		(2)	Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may give to any local body such directions as in its opinion are necessary or expedient for enabling the Corporation to perform its functions under this Act and there upon it shall be the duty of the local body to comply with such directions.
Protection for action taken in good faith.			
	28.		No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Corporation or the Chairman or the Managing Director or any other member thereof or any employee of the State Government or the Corporation for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.
Members etc. deemed to be public servants			
	29.		The Chairman, Managing Director or other members and employees of the Corporation shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Authentication of proceedings, orders and other instruments of the Corporation			
	30.		All proceedings of the Corporation shall be authenticated by the Signature of the Chairman or as the case may be, of the member presiding in the meeting of the Corporation in the absence of the Chairman, and all orders and other instruments issued by the Corporation shall be authenticated by the signature of such employee of the Corporation as may be authorised by it in this behalf.
Delegation of Powers.			
	31.	**(1)**	Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the State Government may by general or special order delegate either unconditionally or subject to such conditions including the condition of review by itself, as may be specified in the order to the Corporation such of its powers and duties under the Indian Forest Act, 1927 or any other law for the time being in force, as it may deem necessary.
		(2)	Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder the Corporation may be general or special order, delegate either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by itself, as may be specified in the order, to the Chairman or the Managing Director or any other member or employee of the Corporation such of its powers and duties not being the powers and duties delegated to it under sub-section (1), as it may deem necessary.
State Government may invest the officers with powers of forest officer			
	32.		The State Government may invest the Managing Director or any employee of the Corporation with all or any of the powers of a Forest Officer under section 72 of the Indian Forest Act, 1927, and the Managing Director or such employee in relation to such powers shall be deemed to be a Forest Officer within the meaning of clause (2) of section (2) of the Indian Forest Act, 1927.
Power to make Rule			
	33.	**(1)**	The State Government may, by notification in the *Gazette,* make rules for carrying out the purposes of this Act.
		(2)	In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power , such rules may provide of all or any of the following matters, namely :--
		(a)	the manner in which the Sinking Fund shall be established, maintained, invested and applied under Section 21;
		(b)	the procedure in respect of surcharge under section 24 including the provision of appeal, if any, in respect thereof;
		(c)	any other matter which has to be or may be, prescribed.
		(3)	All rules made under this Act shall as soon as may be after they are made be laid before the State legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the the State legislative Assembly may, during the

			said period, agree to make, so however than any such modifications or annulments shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under.
Regulations			
	34.	**(1)**	The Corporation may, with the previous approval of the State Government make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder for the administration of the Corporation.
		(2)	In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provided for or any of the following matters, namely :
		(a)	salaries and allowances and conditions of service of the Managing Director and employees of the Corporation and traveling and daily allowances to be paid to the Chairman and non-official members;
		(b)	times and places of, and the procedure in regard to the transaction of business in, the meetings of the Corporation;
		(c)	any other matter for which provision is to be or may be made in the regulations.
		(3)	Until any regulations are made by the Corporation under sub-section (1) any regulations which may be so made by it, may be made by the State Government, and any regulations so made may be altered or rescinded by the Corporation in exercise of its power under sub-section(1).
Repeal.	**35.**	**(1)**	The Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttarakhand Amendment) Ordinance, 2001 (Ordinance No. 1 of 2001) is hereby repealed.
		(2)	Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have done or taken under this Act as if this Act had came into force on 03 March 2001.

क्रम संख्या–108

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0जी0एन0
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 08 जून, 2012 ई0

ज्येष्ठ 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 169/XXXVI(3)/2012/25(1)/2012

देहरादून, 08 जून, 2012

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरा विधान सभा द्वारा पारित "**उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2012**" दिनांक 07 जून, 2012 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या वर्ष, 2012 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया है।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05 वर्ष 2012}

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वन विकास निगम (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 23 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, वर्ष 1975) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 23 की उपधारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) निगम के लेखे प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षित किये जायेंगे और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा निगम के लेखों की लेखा परीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसे लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो किसी संगठन के लेखों की लेखा की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्टतया, उसे बहियां, लेखे सम्बद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने की मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।"

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 169/XXXVI(3)/2012/25(1)/2012
Dated Dehradun, June 08, 2012

Notification

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Forest Development Corporation (First Amendment) Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 05 of 2012).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 June, 2012.

THE UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION (FIRST AMENDMENT) ACT, 2012

[UTTARAKHAND ACT NO. 05 OF 2012]

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974, to the context of the State of Uttarakhand;

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty-three Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Forest Development Corporation (First Amendment) Act, 2012

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Section 23 2. In section 23 of the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 (as enforced in the state of Uttarakhand) for sub-section (2), (3) and (4), the following sub-sections shall be substituted; namely :-

"(2) The accounts of the Corporation shall be subject to audit annually by the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him, and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Corporation to the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him.

(3) The Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him in connection with the audit of accounts of the Corporation shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the audit of the accounts of an Organization and, in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other document and papers and to inspect the office of the Corporation.

(4) The accounts of the Corporation as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any person authorized by him in that behalf together with the audit report thereof shall be forwarded annually to the State Government."

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 45 विधायी/315–2012–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या--061 (ग)

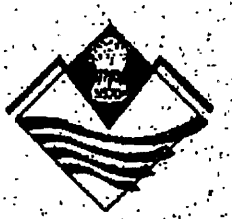

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 मई, 2001 ई0

बैशाख 27, 1923 शक संवत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 07/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001

देहरादून, 17 मई, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 17 मई, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001

उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति; उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यक्षेत्र को सीमित करने तथा उत्तरांचल वन विकास निगम की स्थापना के संबंध में उत्तर प्रदेश वन निगम, 1974 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत के गणराज्य के बावनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित करती है:

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) संक्षिप्त नाम. अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4 सन् 1975 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1975) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में निम्नलिखित बढ़ाया जायेगा, अर्थात:—

(क) मूल अधिनियम की धारा 2 खंड (ङ) में "उत्तर प्रदेश वन निगम" के पश्चात् एवं "से है" से पूर्व "एवं धारा 3 (क) के अधीन स्थापित उत्तरांचल वन विकास निगम" जोड़ दिया जायेगा;

(ख) मूल अधिनियम की धारा 2 खंड (च) में "उत्तर प्रदेश सरकार" के पश्चात् एवं "से है" से पूर्व "या उत्तरांचल सरकार, जैसी भी स्थिति हो" जोड़ दिया जायेगा।

नई धारा 3—क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् एक नई धारा 3—क निम्नवत् बढ़ा दी जायेगी:—

"3—क (1) उत्तरांचल राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे दिनांक से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उत्तरांचल वन विकास निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य निकाय वाला एक निगमित निकाय होगा तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(3) निगम समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी होगा।

(4) निगम का मुख्यालय नरेन्द्रनगर में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं जहां वह आवश्यक समझे।

(5) उत्तरांचल वन विकास निगम का कार्यक्षेत्र उत्तरांचल का सम्पूर्ण क्षेत्र होगा और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से, उत्तरांचल वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में, उत्तर प्रदेश वन निगम न ही कार्य करता रहेगा और न ही क्रियाशील बना रहेगा।

4—उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 (अध्यादेश संख्या 01/2001) निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
(पी० सी० पन्त)
सचिव।

No. 07/Vidhayee Evam Sansadiya Karya/2001
Dated Dehradun, May 17, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Bill, 2001 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 07 of 2001), As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on May 17, 2001.

THE UTTAR PRADESH FOREST CORPORATION (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2001

To amend the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974, in its application to Uttaranchal, to limit the area of operation of the Uttar Pradesh Forest Corporation and to establish the Uttaranchal Forest Development Corporation.

AN
ACT

Uttaranchal Vidhan Sabha in the Fifty Second Year of Republic of India, enacts as follows:

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Act, 2001

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974 (hereinafter called the Principal Act) following additions shall be made-- *Amendment of section 2 of U.P. Act No. 4 of 1975*

(a) In clause (a) of section 2 of the Act, the words "and the Uttaranchal Forest Development Corporation established under section 3 A" shall be added after the words "under section 3";

(b) In clause (f) of section 2 of the Act, the words "or the Government of Uttaranchal, as the case may be" shall be added after the words "Government of Uttar Pradesh".

3. After section 3 of the Principal Act, the following new section 3 A shall be added, namely:-- *Addition of new section 3 A*

"3 A (1) The State Government of Uttaranchal shall, by notification in the gazette and with effect from the date to be specified therein, constitute a corporation by the name of Uttaranchal Forest Development Corporation.

(2) The Corporation shall be a body corporate having a perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall have the power to acquire, hold and dispose off property for the purpose of this Act.

(3) The Corporation shall for all purposes be a local authority.

(4) The Uttaranchal Forest Development Corporation shall have its head office at Narendranagar and may have offices at such places as it may consider necessary.

(5) The area of operation of the Uttaranchal Forest Development Corporation shall be the entire territory of the state of Uttaranchal, in respect of which the Uttar Pradesh Forest Corporation will cease to function and operate with effect from the date the Uttaranchal Forest Development Corporation is notified in the gazette."

4. The Uttar Pradesh Forest Corporation (Uttaranchal Amendment) Ordinance, 2001 (Ordinance No. 1 of 2001) is hereby repealed.

By Order,

(P. C. PANT)
Sachiv.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 24 विधायी / 186--2001--500 (कंप्यूटर / ऑफसेट)।

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
वन एवं पर्यावरण अनुभाग
संख्या 1738/I-व.ग्रा.वि./2001-8(25) 2001
देहरादून: दिनांक: 1 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 (अधिनियम संख्या-4 सन् 1975) सपठित उत्तर प्रदेश वन निगम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या-1, सन् 2001), की धारा 3-क (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल वन विकास निगम के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जो इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से गठित माना जायेगा तथा उक्त अधिनियम / अध्यादेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का निर्वहन करेगा.

आज्ञा से,
(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या 1738 (1)/I-व.ग्रा.वि./2001-8(25)/2001, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद सहित उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 1 अप्रैल,2001 के असाधारण राजकीय गजट में अवश्य प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें और प्रकाशन के उपरान्त अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियां सचिवालय के वन एवं पर्यावरण अनुभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें,

आज्ञा से,
(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

..2..

..2..

संख्या 1738 (2)/I-व.ग्रा.वि./2001-8(25)/2001, तद्दिनांकित.

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन.
2. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ.
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल.
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ.
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ.
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
8. प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून.
9. उत्तरांचल सचिवालय के समस्त अनुभाग,
10. गार्ड फाइल,

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
उप सचिव

मुद्रित एवं प्रकाशित :- मई 2022